

फार्म नं.- III
फर्ड अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
हेतराम बनाम

मुकाम श्रीविजयनगर
सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर 222 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 536

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.09.2025	<p>प्रार्थी की ओर से ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर राजस्व रिकार्ड जमावंदी चक 43 जीवी खाता सं. 92 में दर्ज प्रार्थी के नाम होतचन्द को दुरुस्त कर हेतराम दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी को भूमि विरास्तन प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में नाम हेतराम पुत्र बुलामल अंकित है। प्रार्थी की पत्नी ईश्वरी देवी के नाम चक 43 जीवी खाता सं. 10 में भूमि दर्ज है उसमें नाम ईश्वरी देवी पत्नी हेतराम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किया जाना उचित है। दिनांक 20.09.2025 को तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअनि के दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत छायाप्रति नामान्तरकरण सं. 44 चक 43 जीवी जिसके द्वारा वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर बुलामल से भूमि विरास्तन होतचन्द आदि के नाम से दर्ज की गयी है। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के साथ वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा पुराना कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी के पिता बुलामल के वारिसान/पारिवारिक सदस्य का नाम होतचन्द नहीं होकर हेतराम है। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे यह सिद्ध हो कि राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय किसी स्तर पर त्रुटिकारित की गई हो। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

